652/2020

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

दस हजार रुपये

भारत

25 JAN 2020

रू. 10000

Rs. 10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

749262

<u>किरायानामा/लीज मुद्दत 19 वर्ष 11 माह</u>

<u>स्टाम्प शुल्क – 36000/–रू0</u>

हम कि सुरेन्द्र सिंह सागर पुत्र श्री दुर्जन सिंह निवासी ग्राम करीमपुर शर्की, तहसील सदर, थाना भोट, जिला रामपुर व भानू प्रताप सिंह पुत्र श्री गम्भीर सिंह निवासी– एम0एल0ए0 हाऊस, खुशहालपुर प्रीत विहार वार्ड नं0– 01 मुरादाबाद प्रथम पक्षगण एवं अनिल कुमार पुत्र स्व0 श्री रामस्वरूप निवासी ग्राम निपनिया मझरा तहसील मिलक, जिला रामपुर द्वितीय पक्ष हैं

यहकि हम दोनों पक्षों के मध्य लीज किरायानामा की निम्नलिखित शर्ते तय हुई है:– 1. यहकि प्रथम पक्ष एक किता जो कि गाटा सं0– 31 का अंश है मि0 रकवां 0.241 हे0 है लगानी ——— के अनुसार न्यायालय उप जिलाधिकारी सदर रामपुर के द्वारा

अनिल कुमार

Scanned by CamScanner

25 JAN 2020

उ.................................धनराशि 10000/-

....

ना मी...

निवासी..

को स्टाम्प कोषागार रामपुर से दिया गया।

ह0...................मु0 रोकडिया कोषागार रामपुर

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 10000

10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

749260

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

कम्प्यूटर वाद सं0– टी0201913590104467 धारा– 80 (1) उ0प्र0 राजस्व संहिता 2006 दिनांक– 18.01.2020 के अन्तर्गत आकृषित घोषित जा चुका है। स्थित ग्राम भमरौआ परगना सदर, जिला रामपुर जो कि गाटा सं0– 31 अंश है जिसमें से अग्रस्थल 35 मी0 गुणा ल0 35 मी0 भूमि जिसका क्षेत्रफल 1225 वर्ग मी0 है जिसकी नाप व सीमाऐं नीचे दी जा रही है जो रोड की निर्धारित सीमा छोड़कर दिया है वास्ते इंडियन ऑयल पेट्रोलपम्प के लिये द्वितीय पक्ष को लीज / किराये पर दे रहें हैं।

2. यहकि उक्त प्लाट का लीज किराया मु0 15000/–(पन्द्रह हजार रूपये) प्रतिमाह के हिसाब से तय करार पाया है।

3. यहकि उक्त प्लाट द्वितीय पक्ष की किरायेदारी दिनांक– 01.02.2020 से 01.01.2040 ई0 तक कायम रहेगी और द्वितीय पक्ष माह के माह प्लाट मजकूर का किराया प्रथम पक्षगण को अदा करता रहेगा।

Scanned by CamScanner

25 JAN 2020

धनराशि 10000

स्टाम्प कोषागार रामपुर से दिया गया।

सहायक रोकड़िया कोषागार रामपुर

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

Rs. 10000

10000

TEN THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

P-1700

दस हजार रुपये

25 JAN 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

749261

4. यहकि द्वितीय पक्ष उक्त प्लाट में निर्माण कार्य कराने को स्वतन्त्र होगा।

5. यहकि द्वितीय पक्ष को उक्त सम्पत्ति पर लीज किरायेदारी सम्बन्धी अधिकार ही प्राप्त होगा अन्य किसी दूसरे व्यक्ति को पार्टनर बनाने या व्यय आदि करने का कोई अधिकार प्राप्त नही होगा और कम्पनी इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लि0 को उपलीज कराने हेतु अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

6. यहकि उक्त लीज किरायेनामे की अवधी पूर्ण होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष प्रथम पक्षगण के प्लाट उक्त से स्वतः ही अपना कब्जा व दखल हटा लेगा।

7. यहकि उक्त अवधी के अन्दर दोनों के पक्षो के मधुर सम्बन्ध रहते है तो उक्त अवधी के लिये नया लीज किरायानामा लिखा जायेगा। जिसका रजिस्टर्ड किरायेनामा ही कराया जायेगा।

8. यहकि उक्त प्लाट का उक्त अवधी का जो भी टैक्स या अन्य देय किसी अन्य विभाग का होगा तो उसको द्वितीय पक्ष अदा करेगा।

9. यहकि जिस स्थिति में द्वितीय पक्ष ने उक्त प्लाट लिया है प्लाट का जो निमार्ण होगा उसकी द्वितीय पक्ष अपने खर्चे से तोड़कर खाली प्लाट उसी स्थिति में प्रथम पक्षगण को

Scanned by CamScanner

25 JAN 2020

तारीख........................धनराशि 10000/-

श्री [illegible]

पुत्र श्री [illegible]

निवासी [illegible]

को स्टाम्प कोषागार रामपुर से दिया गया।

[illegible]......शु0 रोकड़िया कोषागार रामपुर

[illegible]

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक INDIA NON JUDICIAL

भारत

रु.5000 Rs.5000

पाँच हजार रुपये FIVE THOUSAND RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

P-1700

21 JAN 2020

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

DC 104227

वापस कर देगा।

10. यहकि उक्त प्लाट में बिजली का कनेक्शन किरायेदार द्वितीय पक्ष अपने खर्च से लेगा और उसकी बिल की अदायगी भी किरायेदार द्वितीय पक्ष स्वंय करेगा।

11. हम जो अपनी भूमि (प्रथम पक्षगण) द्वितीय पक्ष को लीज पर दे रहे है द्वितीय पक्ष इस भूमि को आगे उप लीज इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड को पेट्रोल पम्प हेतु कर सकता है। उपलीज कराने का अधिकार द्वितीय पक्ष को होगा।

अतः हम दोनों पक्षों ने खूब सोच व समझकर बिना किसी जोर व दबाव के पूरे होशो हवास के यह लीज किरायेनामा लिखवा दिया ताकि सनद रहे और वक्त जरूरत पर काम आवें।

D. P. Singh

अनिल कुमार

Scanned by CamScanner

38537 — 25/01/2020

आवेदन सं०: 202000726001020

स्टाम्प विक्रय करने की तिथि..........

स्टाम्प क्रय करने का प्रयोजन..........

स्टाम्प क्रेता का नाम व पूरा पता.......... पट्टा विलेख/ कबूलियतनामा

बही स०: 1 स्टाम्प की धनराशि ... रजिस्ट्रेशन स०: 652 वर्ष: 2020

प्रतिफल- 180000 स्टाम्प शुल्क- 36000 बाजारी मूल्य - 0 पंजीकरण शुल्क - 18000 प्रतिलिपिकरण शुल्क - 60 योग : 18060

जुबैर अहमद
लाइसेन्स नं०-209
लाइसेन्स की अवधि 31.03.201
जिला कचहरी रामपुर(उ०प्र०)

श्री अनिल कुमार
पुत्र श्री रामस्वरूप
व्यवसाय : व्यापार
निवासी: ग्राम निपनिया तहसील मिलक जिला रामपुर

ने यह लेखपत्र इस कार्यालय में दिनाँक 25/01/2020 एवं 04:58:09 PM बजे निबंधन हेतु पेश किया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भरत कुमार जुमनानी
उप निबंधक :सदर
रामपुर
25/01/2020

ओम प्रकाश .
निबंधक लिपिक

अनिल कुमार

Scanned by CamScanner

भारतीय गैर न्यायिक

भारत

रु. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA

P-617

21 JAN 2023

मुख्य रोकड़िया कोषागार, रामपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

नाप प्लाट

पूरब- 35 मी0

पश्चिम- 35 मी0

उत्तर - 35 मी0

दक्षिण- 35 मी0

सीमा प्लाट

पूरब - आराजी रामचरन

पश्चिम- आराजी सुशीला कुमारी भाटिया

उत्तर- रास्ता (रामपुर केमरी मार्ग)

दक्षिण- आराजी मुखीराम

Scanned by CamScanner

Scanned by CamScanner

आवेदन सं०: 202000726001020

बही सं०: 1 रजिस्ट्रेशन सं०: 652 वर्ष: 2020

निष्पादन लेखपत्र वाद सुनने व समझने मजमुन व प्राप्त धनराशि रु प्रलेखानुसार उक्त

पट्टा दाता: 1

श्री सुरेन्द्र सिंह सागर, पुत्र श्री दुर्जन सिंह

निवासी: ग्राम करीमपुर शर्की तहसील सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: कृषि

पट्टा दाता: 2

श्री भानुप्रताप सिंह, पुत्र श्री गम्भीर सिंह

निवासी: नि० एम०एल०ए०हॉउस प्रीति विहार मुरादाबाद

व्यवसाय: व्यापार

पट्टा गृहीता: 1

श्री अनिल कुमार, पुत्र श्री रामस्वरूप

निवासी: ग्राम पिपलिया तहसील मिलक जिला रामपुर

व्यवसाय: व्यापार

ने निष्पादन स्वीकार किया। जिनकी पहचान

पहचानकर्ता : 1

श्री अंकुर सागर पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह

निवासी: नि० आदर्श कालोनी रामपुर

व्यवसाय: अन्य

पहचानकर्ता : 2

श्री [illegible], पुत्र श्री मो० शकूर

निवासी: नि० मो० घेर मियां खां तहसील सदर जिला रामपुर

व्यवसाय: अन्य

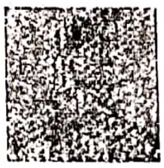

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

[illegible] उपरोक्त [illegible] व्यक्तियों के निशान अंगूठे [illegible] लिए गए है।
टिप्पणी:

[illegible]
उप निबंधक: सदर
रामपुर

ओम प्रकाश,
निबंधक लिपिक

भारतीय गैर न्यायिक

भारत INDIA

रु. 500

पाँच सौ रुपये

INDIA NON JUDICIAL

21 JAN 2020

मुख्य रोकड़िया

कोषागार, रामपुर

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

गवाह:– 1

गवाह:– 2

1. अंकुर सागर पुत्र श्री सुरेन्द्र सिंह सागर, निo– आदर्श कालोनी, सिoलाoरामपुर।

2. मोo महबूब पुत्र श्री मोo शकूर निo– मोo घेर मियां खां, रामपुर।

आज दिनांक– 25.01.2020 को दस्तावेज तहसील सदर, जिला रामपुर में बलवन्त सिंह (एडo) द्वारा तहरीर कराई गयी।

25/01/2020

बलवन्त सिंह एडवोकेट

आवेदन सं०: 202000729001020 25/01/2020

38537
5700

बही संख्या 1 जिल्द संख्या 9154 के पृष्ठ 57 से 68 तक क्रमांक 652 पर दिनाँक 25/01/2020 को रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

जुबैर अहमद
लाइसेन्स नं०-209
जिला कचहरी

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

भरत कुमार जुमनानी
उप निबंधक : सदर
रामपुर
25/01/2020

Scanned by CamScanner

नकल ग्राम खसरा ग्राम .... परगना व तहसील सदर .... जिला .... सन् 1425 फ0   142   कसल

नम्बर खेत या गाटा संख्या	क्षेत्रफल हेक्टेयर में	खाता खतौनी नं0	खतौनी के भाग 1 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम	खतौनी के भाग 2 के वर्गीकरण के अनुसार खातेदार का नाम यदि कोई .हो	सिंचाई का साधन	क्षेत्रफल: खरीफ: फसल	खरीफ: सिंचित	खरीफ: असिंचित	रबी: फसल	रबी: सिंचित	रबी: असिंचित	जायद: फसल	जायद: सिंचित	जायद: असिंचित	फसली क्षेत्रफल दो: सिंचित	फसली क्षेत्रफल दो: असिंचित	आकर्षित भूमि: भाग	आकर्षित भूमि: क्षेत्रफल	
		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
[illegible]	.0747	331	श्रीमती सुशीला (कुमारी) मोहियार व शाह जेब खान	X	बोरिंग	धान 0.506	-		गेहूँ 0.506	-		-	—	-	—		खाली [illegible]		

नकल मुताबिक असल के सही है धारा 26 के अनुसार उजरत पाकर नकल की जाती है। [signature] 06/03/19

उद्धरण खतौनी

उद्धरण क्रमांक : 1169552017

ग्राम क्रमांक : 116955 ग्राम का नाम / परगना : भमरौआ(सदर) तहसील : सदर जनपद : रामपुर फसली वर्ष : 1424-1429 भाग : 1

खाता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम / पिता पति संरक्षक का नाम / निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश उनकी संख्या तथा दिनाँक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13
श्रेणी : 1-क / भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरों के अधिकार में हो।							
00331	श्रीमती सुशीला कुमारी भाटिया / सुभाष चन्द भाटिया / नि0 4 पटेलनगर सरायेगेट रामपुर	1418फ	31	0.7470		1425फ0 आदेशानुसार श्रीमान नायब तहसीलदार महोदय वाद संख्या टी20171359170122295 दि0 27.9.17 को आदेश हुआ कि गाटा सख्या 31 रकबा 0.747हे मे से 0.241हे से विक्रेता श्रीमती सुशीला कुमारी भाटिया पत्नी सुभाष चन्द भाटिया नि0पटेल नगर सराये गेट रामपुर कानाम बैनामा दि0 [illegible].8.17 के अनुसार खारिज होकर उसके स्थान पर क्रेता शाहजेब [illegible] पुत्र मो0 हनीफ खां नि0मौ0पीला तालाब रामपुर कानाम [illegible] ह0र0का0/3.10.17	
			1	0.7470	₹ 18.45	1	0

कुल गाटे- एक कुल क्षेत्रफल- शून्य दशमलव सात चार सात शून्य (हेक्टेयर) कुल भू-राजस्व - एक आठ दशमलव चार पाँच रुपये

Data Digitally Signed by: SAGAR RAMKISHORE

उपरोक्त उद्धरण खतौनी का वेरीफिकेशन http://upbhulekh.gov.in Website पर जाकर किया जा सकता है।

सक्षम अधिकारी: MAHESH CHANDRA SAXENA

तहसील: सदर जनपद: रामपुर

दिनांक एवं समय: 04-10-2017 03:02:32

यह उद्धरण खतौनी इलेक्ट्रोनिक डिलीवरी सिस्टम द्वारा तैयार की गयी है तथा डिजिटल हस्ताक्षर द्वारा हस्ताक्षरित है।